



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18092025-266233
CG-DL-E-18092025-266233

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4109]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 18, 2025/भाद्र 27, 1947

No. 4109]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 18, 2025/BHADRA 27, 1947

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2025

का.आ. 4226(अ).—भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 3813(ई) दिनांक 20.08.2025 के अनुक्रम में और चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के दिनांक 12.11.2024 के प्रमाणपत्र संख्या डीआईएल/1/121/2024-एमयूएम के तहत प्रमाणित मराठी फिल्म "खालिद का शिवाजी" का प्रदर्शन 19.09.2025 के बाद एक माह या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक निलंबित किया जाएगा।

[फा. सं. एम-11021/24/2025-डीओ(एफसी)]

अजय नागाभूषण एमएन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2025

S.O. 4226(E).—In continuation of Notification No. 3813(E) dated 20.08.2025 published in the Extraordinary Gazette of India and in exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of section 6 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952), the Central Government hereby directs that the exhibition of the Marathi film

titled “Khalid Ka Shivaji”, certified by the Central Board of Film Certification vide Certificate No. DIL/1/121/2024-MUM dated 12.11.2024, shall be further suspended by one month beyond 19.09.2025, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. M-11021/24/2025-DO(FC)]

AJAY NAGABHUSHAN MN, Jt. Secy.